

बिहार राज्य के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों (सहायक प्राचार्य) के पद पर नियुक्ति हेतु  
परिनियम 2014 के अंतर्गत शैक्षिक अंकों की गणना हेतु तालिका

अनुसूची 1

मैट्रिक स्तर पर प्राप्त होने वाले प्राप्तांक के आधार पर

क्र०	ग्रेड अंक	समतुल्य प्रतिशत	अधिभार अंक
1	5.50 एवं उससे उपर	75	10.0
2	5.40	74	9.8
3	5.30	73	9.6
4	5.20	72	9.4
5	5.10	71	9.2
6	5.00	70	9.0
7	4.90	69	8.8
8	4.80	68	8.6
9	4.70	67	8.4
10	4.60	66	8.2
11	4.50	65	8.0
12	4.40	64	7.8
13	4.30	63	7.6
14	4.20	62	7.4
15	4.10	61	7.2
16	4.00	60	7.0
17	3.90	59	6.8
18	3.80	58	6.6
19	3.70	57	6.4
20	3.60	56	6.2
21	3.50	55	6.0
22	3.40	54	5.8
23	3.30	53	5.6
24	3.20	52	5.4
25	3.10	51	5.2
26	3.00	50	5.0
27	2.90	49	4.8
28	2.80	48	4.6
29	2.70	47	4.4
30	2.60	46	4.2
31	2.50	45	4.0
32	2.40	44	3.8
33	2.30	43	3.6
34	2.20	42	3.4
35	2.10	41	3.2
36	2.00	40	3.0
37	1.90	39	2.8
38	1.80	38	2.6
39	1.70	37	2.4
40	1.60	36	2.2
41	1.50	35	2.0

नोट :-

मिलने वाले अधिभार अंक यदि किसी अभ्यर्थी को समतुल्य प्रतिशत अंक दो क्रमिक पूर्णांक प्रतिशत अंक के मध्य का कोई भिन्नांक हो तो वैसी स्थिति में अभ्यर्थी को मिलने वाले उच्चतर अथवा निम्नतर अधिभार अंक की गणना भिन्नांक में शामिल दशमलव अंक के 0.5 से कम, 0.5 अथवा 0.5 से अधिक होने के आधार पर की जाएगी।

उदाहरण

समतुल्य प्रतिशत	अधिभार अंक
59	6.8
58	6.6
58.6	6.8
58.4	6.6

ग्रेड बिन्दु	अधिभार अंक
3.90	6.8
3.80	6.6
3.86	6.8
3.84	6.6

85 72

अनुसूची II

उच्चरसीबीएट पर पर प्राप्त होने वाले प्राप्तांक के आधार पर मिलने वाले अधिभार अंक

क्र०	ग्रेड अंक	समतुल्य प्रतिशत	अधिभार अंक
1	5.50 एवं उससे उपर	75	10.0
2	5.40	74	9.8
3	5.30	73	9.6
4	5.20	72	9.4
5	5.10	71	9.2
6	5.00	70	9.0
7	4.90	69	8.8
8	4.80	68	8.6
9	4.70	67	8.4
10	4.60	66	8.2
11	4.50	65	8.0
12	4.40	64	7.8
13	4.30	63	7.6
14	4.20	62	7.4
15	4.10	61	7.2
16	4.00	60	7.0
17	3.90	59	6.8
18	3.80	58	6.6
19	3.70	57	6.4
20	3.60	56	6.2
21	3.50	55	6.0
22	3.40	54	5.8
23	3.30	53	5.6
24	3.20	52	5.4
25	3.10	51	5.2
26	3.00	50	5.0
27	2.90	49	4.8
28	2.80	48	4.6
29	2.70	47	4.4
30	2.60	46	4.2
31	2.50	45	4.0
32	2.40	44	3.8
33	2.30	43	3.6
34	2.20	42	3.4
35	2.10	41	3.2
36	2.00	40	3.0
37	1.90	39	2.8
38	1.80	38	2.6
39	1.70	37	2.4
40	1.60	36	2.2
41	1.50	35	2.0

नोट :- यदि किसी अभ्यर्थी को समतुल्य प्रतिशत अंक दो क्रमिक पूर्णांक प्रतिशत अंक के मध्य का कोई भिन्नांक हो तो वैसी स्थिति में अभ्यर्थी को मिलने वाले उच्चतर अथवा निम्नतर अधिभार अंक की गणना भिन्नांक में शामिल दशमलव अंक के 0.5 से कम, 0.5 अथवा 0.5 से अधिक होने के आधार पर की जाएगी।

उदाहरण

समतुल्य प्रतिशत	अधिभार अंक
59	6.8
58	6.6
58.6	6.8
58.4	6.6

ग्रेड बिन्दु	अधिभार अंक
3.90	6.8
3.80	6.6
3.86	6.8
3.84	6.6

Dr. K. S. Reddy  
 राज्यपाल के अंतर सचिव  
 ब्रिहस्पति, पटना-22

अनुरूपी III

अभिमान अंक पर प्राप्त होने वाले प्राप्तांक की आधार पर मिलने वाले अधिभार अंक

क्र०	ग्रेड अंक	समतुल्य प्रतिशत	अधिभार अंक
1	5.50 एवं उससे उपर,	75	25.0
2	5.40	74	24.5
3	5.30	73	24.0
4	5.20	72	23.5
5	5.10	71	23.0
6	5.00	70	22.5
7	4.90	69	22.0
8	4.80	68	21.5
9	4.70	67	21.0
10	4.60	66	20.5
11	4.50	65	20.0
12	4.40	64	19.5
13	4.30	63	19.0
14	4.20	62	18.5
15	4.10	61	18.0
16	4.00	60	17.5
17	3.90	59	17.0
18	3.80	58	16.5
19	3.70	57	16.0
20	3.60	56	15.5
21	3.50	55	15.0
22	3.40	54	14.5
23	3.30	53	14.0
24	3.20	52	13.5
25	3.10	51	13.0
26	3.00	50	12.5
27	2.90	49	12.0
28	2.80	48	11.5
29	2.70	47	11.0
30	2.60	46	10.5
31	2.50	45	10.0
32	2.40	44	9.5
33	2.30	43	9.0
34	2.20	42	8.5
35	2.10	41	8.0
36	2.00	40	7.5
37	1.90	39	7.0
38	1.80	38	6.5
39	1.70	37	6.0
40	1.60	36	5.5
41	1.50	35	5.0

नोट :- यदि किसी अभ्यर्थी को समतुल्य प्रतिशत अंक दो क्रमिक पूर्णांक प्रतिशत अंक के मध्य का कोई भिन्नांक हो तो वैसी स्थिति में अभ्यर्थी को मिलने वाले उच्चतर अथवा निम्नतर अधिभार अंक की गणना भिन्नांक में शामिल दशमलव अंक के 0.5 से कम, 0.5 अथवा 0.5 से अधिक होने के आधार पर की जाएगी।

उदाहरण

समतुल्य प्रतिशत	अधिभार अंक
59	17.0
58	16.5
58.6	17.0
58.4	16.5

ग्रेड बिन्दु	अधिभार अंक
3.90	17.0
3.80	16.5
3.86	17.0
3.84	16.5

अनुसूची IV

(51)

70

उनातकोत्तर स्तर पर प्राप्त होने वाले प्राप्तांक के आधार पर मिलने वाले अधिभार अंक

क्र०	ग्रेड अंक	समतुल्य प्रतिशत	अधिभार अंक
1	5.50 एवं उससे उपर	75	30.00
2	5.40	74	29.25
3	5.30	73	28.50
4	5.20	72	27.75
5	5.10	71	27.00
6	5.00	70	26.25
7	4.90	69	25.50
8	4.80	68	24.75
9	4.70	67	24.00
10	4.60	66	23.25
11	4.50	65	22.50
12	4.40	64	21.75
13	4.30	63	21.00
14	4.20	62	20.25
15	4.10	61	19.50
16	4.00	60	18.75
17	3.90	59	18.00
18	3.80	58	17.25
19	3.70	57	16.50
20	3.60	56	15.75
21	3.50	55	15.00
22	3.40	54	14.25
23	3.30	53	13.50
24	3.20	52	12.75
25	3.10	51	12.00
26	3.00	50	11.25

नोट :- यदि किसी अभ्यर्थी को समतुल्य प्रतिशत अंक दो क्रमिक पूर्णांक प्रतिशत अंक के मध्य का कोई भिन्नांक हो तो वैसी स्थिति में अभ्यर्थी को मिलने वाले उच्चतर अथवा निम्नतर अधिभार अंक की गणना भिन्नांक में शामिल दशमलव अंक के 0.5 से कम, 0.5 अथवा 0.5 से अधिक होने के आधार पर की जाएगी।

उदाहरण

समतुल्य प्रतिशत	अधिभार अंक
59	18.00
58	17.25
58.6	18.00
58.4	17.25
ग्रेड बिन्दु	अधिभार अंक
3.90	18.00
3.80	17.25
3.86	18.00
3.84	17.25


डॉ० के० सिंह  
उपनिवेश के अवर सचिव,  
बिहार, पटना-22

अनुसूची V

50

69

पी0एच0डी0 अथवा एम0फिल0 के लिए अधिभार अंक		
क्र०	श्रेण्ड बिंदु	अधिभार अंक
1	यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रावधानों के साथ पी0एच0डी0 एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण	10.00
2	यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रावधानों के साथ पी0एच0डी0 परन्तु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं	7.00
3	यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रावधानों के बगैर पी0एच0डी0 एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण	5.00
4	यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रावधानों के साथ एम0फिल0 एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण	4.00
5	यू0जी0सी0 विनियम 2009 के प्रावधानों के बगैर एम0फिल0 एवं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण	2.00

  
एन0 के0 सिंह  
राज्यपाल के अवर सचिव,  
बिहार, पटना-22